राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकः प. 22(1)प्र.सु./सम./अनु–1/2016 जयपुर, दिनांकः 21.10.2016

आदेश

प्रशासनिक सुधार विभाग में वर्तमान में संपादित हो रहें निम्नांकित कार्य सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को सेन्टर के अन्य नियमित कार्यो के अलावा अग्रिम व्यवस्था तक सौंपे जाते हैं :–

1. 'आपका जिला आपकी सरकार' कार्यक्रम
2. 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम
3. 'राजस्थान संपर्क पोर्टल' पर दर्ज जन शिकायतों एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के पर्यवेक्षण का कार्य
4. मंत्रीगण समूह (Group of Ministers) और जिला प्रभारी मंत्रीगण एवं जिला प्रभारी सचिवगण के भ्रमण से संबंधित कार्य
5. संसदीय सचिवों को आवंटित जन अभाव अभियोग निराकरण के पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य

राज्य सरकार के कार्य विधि नियमों के अनुरूप एवं प्रशासनिक सुगमता और समन्वय के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त आवंटित कार्यो के संपादन एवं प्रक्रियाओं के संदर्भ में कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं हो इस हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

1. सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स द्वारा उपरोक्त कार्यो के प्रतिवेदन/रिपोर्ट प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं जन अभियोग निराकरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव/मा.मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किये जाएंगे।

2. उक्त कार्यो के संदर्भ में माननीय मंत्रीगणों, संसदीय सचिवगणों, सचिवगणों, विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों एवं अन्य संबंधितों को सेन्टर फॉर गुड़ गवर्नेन्स द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देश प्रमुख शासन सचिव एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से जारी किये जाएंगें।

(ओ. पी. मीना)
मुख्य सचिव

---2

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव/सचिव द्वितीय, माननीय मुख्यमंत्री।
2. समस्त विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/ससदीय सचिवगण
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. समस्त विभागाध्यक्ष
6. समस्त संभागीय आयुक्त
7. समस्त जिला कलेक्टर
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) एवं महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
9. सदस्य सचिव, सेन्टर फार गुड गवर्नेन्स, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यो के संदर्भ में अब तक जारी किये गये निर्देश/परिपत्रों आदि की प्रतियां प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को भिजवाई जावें।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग एवं जन अभियोग निराकरण विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्रिमडल सचिवालय।
12. विशिष्ठ शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
13. निदेशक, पब्लिक सर्विसेज, शासन सचिवालय, जयपुर
14. शासन संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
15. वरिष्ठ शासन उप सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग।
16. प्रधान विशेषाधिकारी एवं समस्त विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय
17. समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ प्रशासनिक सुधार विभाग एवं जन अभियोग निराकरण विभाग
18. रक्षित पत्रावली

(शक्ति सिंह राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव